न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/18/2025	2025/160	03.06.2025	29.09.2025

1—श्रीमती प्रेमलता गुप्ता पत्नी स्वर्गीय मदन लाल गुप्ता, निवासी 53 आर्य नगर, अलवर।
2— आशा गुप्ता पुत्री स्वर्गीय मदन लाल गुप्ता, निवासी 53 आर्य नगर, अलवर।
3— चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल गुप्ता, निवासी 53 आर्य नगर, अलवर।
4— विजय गुप्ता पुत्र श्री स्वर्गीय श्री मदन लाल गुप्ता, निवासी 53 आर्य नगर, अलवर।
5— पंकज गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल गुप्ता, निवासी 53 आर्य नगर, अलवर।
6— श्रीमती विजय गुप्ता पत्नी श्री पदम प्रकाश गुप्ता, निवासी जलन्धर कैन्ट पंजाब,
7— सौरभ गुप्ता पुत्र श्री पदम प्रकाश गुप्ता, निवासी जलन्धर कैन्ट पंजाब,
8— तरूण गुप्ता पुत्र श्री पदम प्रकाश गुप्ता निवासी जलन्धर कैन्ट पंजाब,
9— कुश गुप्ता पुत्र श्री पदम प्रकाश गुप्ता, निवासी जलन्धर कैन्ट पंजाब,
10— सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास गुप्ता, 53 आर्य नगर, अलवर।
11— प्रेम चंद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास गुप्ता, निवासी 53. आर्य नगर, अलवर।
12— कैलाश चन्द पुत्र श्री स्वर्गीय रामनिवास गुप्ता, निवासी 53 आर्य नगर अलवर।
13— सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास गुप्ता, निवासी 53 आर्य नगर, अलवर।
14— श्रीमती कमलेश गुप्ता पुत्री स्व. रामनिवास "पत्नी कृष्ण अवतार गुप्ता, नि0 पुराना बर्फखाना, अलवर।
15— श्रीमती सुनीता गुप्ता पुत्र. स्वर्गीय रामनिवास गुप्ता, पत्नी हरीश गुप्ता, निवासी नारी शिल्प मंदिर मार्ग, देहरादून।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1— आजाद खान पुत्र श्री मुशरफ खान, उम्र करीब 37 साल, निवासी ग्राम ईटाराणा की झोपडी, तहसील व जिला अलवर।
2— कबूल सिंह पुत्र श्री खेमसिंह, उम्र करीब 55 साल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झाहरखेडा तहसील व जिला अलवर।
3— फरीद खान पुत्र स्वर्गीय तैयब, जाति मेव,
4— रफीक खान पुत्र स्वर्गीय तैयब, जाति मेव,
5— श्रीमती अमन पत्नी स्वर्गीय तैयब, जाति मेव, निवासी महुवा खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर
6— श्रीमती असमीना पुत्री स्वर्गीय तैयब,, पत्नी जावेद, जाति मेव, निवासी महुवा खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर
7— कालेखों पुत्र स्वर्गीय भौंडा, उम्र 45 साल, जाति मेव,
8— श्रीमती महताबी पत्नी स्वर्गीय भाँडा, उम्र 87 साल, जाति मेव निवासी ग्राम महुवा खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

—असल रेस्पौडेन्ट्स

9—उप पंजीयक मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

—तरतीबी रैस्पॉडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.02.2025 तहसीलदार मालाखेडा इन्तकाल संख्या—1251 वाके ग्राम महुआ खुर्द।

उपस्थितः—

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

01—श्री कमल सिंह रावत —वकील अपीलाण्ट
02—श्री गणपत सिंह नरूका —वकील रैस्पोडेण्ट

—:निर्णयः—

वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध तहसीलदार मालाखेड़ा निर्णय दिनांक 25.02.2025 नामन्तकरण संख्या 1251 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 25.02.2025 इन्तकाल संख्या 1251 विधि व न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है, जिससे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है।

आराजी खसरा नम्बर—299 रकबा 0.04 हैक्टेयर गौरमुमकिन सडक व खसरा नम्बर—300 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म तहरी दोयम वाकै ग्राम महुवा खुर्द तहसील मालाखेडा में स्थित है। उक्त आराजी को खातेदार भौण्डा पुत्र सुबेदार के द्वारा अपीलान्ट के पिता श्री रामनिवास गुप्ता पुत्र मन्ना लाल गुप्ता को मुबलिग 49,500/— रूपये में बेचान की गयी थी। जिसका बयनामा दिनांक 15.09.1993 को उपपंजियक कार्यालय अलवर के यहाँ पंजीकृत करा दिया गया था। उक्त रजिस्ट्री होने के बाद विक्रेता भौण्डा के द्वारा उक्त आराजी पर ऋण लिया हुआ था जिस कारण से अपीलान्ट के पिता के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए बेईमानीपूर्वक भौण्डा के द्वारा पुनः मरिचिका प्राईवेट लिमिटेड के नाम दिनांक 26.12.2008 को रजिस्ट्री करा दी उसके बाद जब हम अपीलान्ट को मालुम पडा तो अपीलान्ट के द्वारा उक्त रजिस्ट्री को शून्य घोषित कराने के लिए न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर के यहाँ पर वाद दायर किया जो वाद डिग्री भी हो गया था। उसके बाद भौण्डा के द्वारा अपील की गई अपील माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा राजीनामा के आधार पर डिग्री को नहीं मानकर पुनः विचारण न्यायालय द्वारा 6 माह में मामले को पुनः निस्तारित किये जाने की आज्ञा फरमाई गई जो मुकदमा बाद में सहायक कलक्टर,, अलवर से एस डी ओ साहब मालाखेडा को नये क्षेत्राधिकार के कारण मुन्तकिल कर दिया गया जिस मुकदमें में दिनांक 24.12.2024 की तारीख पेशी नियत थी उस दिन अपीलान्टान के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए तथा अपीलान्ट आवश्यक कार्य होने के कारण पेशी पर हाजिर नहीं हो सके जिस कारण से माननीय एस डी ओ साहब मालाखेडा के द्वारा अपीलान्टान के वाद को अदम पैरवी में खारिज फरमाया दिया गया जिस पुनः नम्बर पर लेने के लिये प्रार्थना पत्र माननीय एस डी ओ मालाखेडा के यहाँ पेश किया हुआ है जिसमें अब आगामी तारीख पेशी 17.03.2025 नियत थी। इसके अलावा हम अपीलान्टान की ओर से मरिचिका प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में बेईमानी पूर्वक आशय से जो बयनामा पुनः भौंडा के द्वारा तस्दीक एव रजिस्टर्ड कराया गया उसके बाबत पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एफ आई आर दर्ज कराई जिसमें भौण्डा के खिलाफ चालान पेश किया गया तथा उसे विचारण पूर्ण होने पर दुबारा रजिस्ट्री कराने के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाई गई।

रैस्पौडेन्ट संख्या—3 से 8 के द्वारा जो इन्तकाल अपने नाम दर्ज कराया उन सभी को ये मालुम था कि विवादित आराजी का बेचान अपीलान्ट के पिता के पक्ष में भौण्डा के द्वारा किया जा चुका है तथा उसी का कब्जा चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भौण्डा का नाम खातेदार के रूप में दर्ज था तथा उसने कैडिट कार्ड के जरिये बैंक आफ बडौदा शाखा कलसाडा से ऋण लिया हुआ था जिसे उन्होने चुकाया नहीं था जिस कारण से हम अपीलान्टान के नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं हो सका और इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हुए

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

भौण्डा के वारिसान के द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए बेईमानी पूर्वक आशय से उक्त इन्तकाल अपने नाम चढवा लिया। रैस्पौ० संख्या 3 ला० 8 द्वारा जो इन्तकाल दिनांक 17.02.25 को इन्तकाल संख्या–1248 जो आराजी खसरा नम्बर 299 रकबा 0.4 हैक्टेयर, 300 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाकै ग्राम महुवा खुर्द का अपने नाम दर्ज करा लिया जिसकी अपील भी माननीय न्यायालय में की हुई है जिसमें दिनांक 08.04.2025 की तारीख पेशी नियत है।

रैस्पौडेन्ट फरीदखान, रफीक खान, श्रीमती अमन, श्रीमती असमीना, काले खॉ, महताबी द्वारा आराजी खसरा नम्बर–300 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाकै महुआ खुर्द का 1/2 भाग यानि 0.12 हैक्टेयर मुताबिक बयनामा दिनांक 25.02.2025 में विक्रय कर उप पंजीयक मालाखेडा के यहाँ तस्दीक करा दिया जिसका इन्तकाल संख्या–1251 दिनांक 25.02.2025 को दर्ज करा लिया। रैस्पौ० संख्या 3 ला० 8 के द्वारा जो बयनामें उपरोक्त प्रकार से रैस्पौ० संख्या–1 व 2 के हक में किये गये हैं वो कतई गैरकानूनी व नाजायज है तथा बिना कब्जा है। रैस्पौ० तैयब पुत्र भौंडा व आबिद पुत्र आसू, काले खॉ पुत्र भाँडा के विरूद्ध एफ आई आर नम्बर–98/2017 दिनांक 21.02.2017 को चार्ज शीट नम्बर–179 दिनांक 30.04.2017 अन्तर्गत धारा 447, 379 पेश की थी। एफ आई आर नम्बर–525/2016 दिनांक 11.10. 2016 चार्जशीट नम्बर–627 दिनांक 14.12.2016 को अन्तर्गत धारा 323, 341, 379, 447 आई पी सी में पेश की थी। एफ आई आर नम्बर– 310/2016 दिनांक 04.06. 2016 चार्जशीट नम्बर–274 दिनांक 22.06.2016 अन्तर्गत धारा 447 आई पी सी में पेश की थी।

अपील के चरण संख्या–9, 10, 11 में वर्णित तथ्यों से यह साबित है कि उक्त खसरा नम्बरान को भौंडा के द्वारा अपीलान्ट के पिता के पक्ष में बेचान किया जा चुका था। तथा विवाद एवं वाद एवं फौजदारी कार्यवाही लम्बित हैं फिर भी उन्होने अपीलान्ट को क्षति एवं नुकसान पहुँचाने के लिये व बेईमानीपूर्वक रैस्पौ० संख्या 1 व 2 के पक्ष में रैस्पौ० संख्या 3 ला० 8 ने गलत व बिना कब्जा आराजी का बेचान कर दिया। जबकि सभी रैस्पौ० को पता था की भौंडा ने ये जमीन अपीलान्ट के पिता को बेचान कर दी थी। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा 3 ला० 8 ने अपीलान्ट को क्षति पहुँचाने एवं कब्जा किये जाने के आधार से मिल्लत करके बयनामा तस्दीक कराया है व उसके आधार पर जो इन्तकाल दर्ज कराया है वो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 24.02.2025 को प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार एवं उप पंजीयक मालाखेडा एवं दूसरा प्रार्थना पत्र श्रीमान् डी आई जी स्टाम्प, अलवर को दिया था कि रैस्पौं० 3 ला० 8 व उनके परिवारजन प्रार्थी की आराजी को बेचने की जूस्तजू में हैं। मगर उन्होने भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की बल्कि बयनामा तस्दीक कर इन्तकाल भी उसी दिनांक तस्दीक कर दिया था। रैस्पौ० इतने शातिर हैं कि अपीलान्टान को शक हो रहा है कि उन्होने उप पंजीयक मालाखेडा से भी मिल्लत कर दिनांक 25.02.2025 को ही रजिस्ट्री एवं इन्तकाल भी तस्दीक करा लिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय इन्तकाल के नियमों का कतई पालन नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 25.02.2025 अपास्त फरमाया जाने की आज्ञा प्रदान करे।

रैस्पोडेण्ट वकील ने कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 284 रकबा 1 बीघ 02 बिस्वा को जरिये बयनामा दिनांक 24.07.1992 को साहबुद्दीन, लहरू पिता बंबोला से भौंडा ने खरीद किया गया जिसका नामांतकरण संख्या 15 भौंडा पुत्र सुबेदार के हक में दर्ज होकर मंजूर किया गया। जिसका इंद्राज जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में हो गया। एक वाद वादी मदनलाल वगैरा ने न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में मदनलाल बनाम भौंडा वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटी एक्ट का पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी भौंडा की ओर से जवाब दावा में पेश किया गया कि मेरी लड़की की शादी थी उसमें रूपये उधार लिये थे क्योंकि पूर्व से ही अनाज बेचान व रूपये का लेन–देन होता चला आ रहा था। मेरे द्वारा उधार लिये गये रूपये की एवज में रामनिवास गुप्ता पुत्र मन्ना लाल गुप्ता के पक्ष में बयनामा दिनांक 15.09.1993 को पंजीबद्ध किया

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गया जिसमें यह शर्त भी थी कि मैं उधार रूपये वापिस अदा कर दूंगा तो बयनामा वापस लौटा दिया जायेगा। उसके पश्चात मैंने बयनामा लौटाने के लिये रामनिवास को निवेदन किया तो उन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया। कहा कि मेरा बेटा मदन लाल बाहर गया है उसके आने पर बयनामा लौटा दूंगा। दिनांक 17.12.1993 को रामनिवास का देहान्त हो गया। अपीलान्ट ने बयनामा नहीं लौटाया। जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 28.05.2009 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय की प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में दायर की गई। मा0 न्याया0 द्वारा अपने निर्णय द्वारा रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली भिजवाई गई। सहायक कलक्टर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया। राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया। बाद में वादी राजीनामा की शर्तो से मुकर गये कहा कि हमारा काम हो गया है हम राजीमाना की शर्तो का पालन नहीं करेगें। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा 02.12.2010 को खारिज किया गया, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2018 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण सहायक कलक्टर अलवर को प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय से व्यथित होकर अपी0 ने निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय न्याया0 के निर्णय दिनांक 21.09.2022 के द्वारा निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को निर्देशित किया गया कि वाद का 6 माह में निस्तारण करें। सहायक कलक्टर अलवर में विचाराधीन पत्रावली दौराने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा का नवसृजन होने के कारण पत्रावली सहायक कलक्टर अलवर से उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को स्थानान्तरित कर दी गई जो पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 24.10.2024 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज की गई। जिसका वादी प्रार्थीगण द्वारा पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। चूंकि भौंडा का स्वर्गवास हो जाने के कारण विरासत इंतकाल संख्या 1248 खोला गया है एवं उसके बाद उक्त आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा किया गया। बयनामा के अनुसार नामांतकरण संख्या 1251 दर्ज व तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे एवं नामांतकरण संख्या 1248 व 1251 यथावत रखा जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नंबर 300 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम महुआ खुर्द का 1/2 भाग यानि 0.12 है0 मुताबिक बयनामा दिनांक 25.02.2025 विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 1251 दिनांक 25.02.2025 को दर्ज कर तस्दीक किया गया। अपीलाण्ट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय आराजी खसरा नंबर 299 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन सड़क व खसरा नंबर 300 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 रकबा 0.28 है0 को तत्समय खातेदार भौंडा पुत्र सुबेदार के द्वारा अपीलाण्ट के पिता रामनिवास गुप्ता पुत्र मन्नालाल गुप्ता को मुबलिक 49,500/– रूपये में बयनामा दिनांक 15.09.1993 को उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत कराकर क्रय किया गया। तत्समय उक्त आराजी पर भौंडा द्वारा ऋण लिया हुआ था। जिस कारण से अपीलाण्ट के पिता के नाम नामांतकरण दर्ज नहीं हो पाया जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए भौंडा द्वारा पुनः मरीचिका प्रा. लि. के नाम दिनांक 26.12.2008 को बयनामा करा दिया गया। उक्त बयनामा को शून्य घोषित कराने हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहां वाद दायर किया गया। जो वाद न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ने दिनांक 28.05.2009 को अपीलाण्ट/वादीगण के पक्ष में डिक्री किया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2010 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय हेतु प्रकरण सहायक कलक्टर अलवर को प्रेतिप्रेषित किया गया। न्यायालय सहायक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कलक्टर में वाद विचाराधीन रहते हुए दिनांक 12.02.2015 को पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर उक्त राजीनामा को निरस्त कराने हेतु अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 28.09.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 01.02.2017 से खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध वादी/अपी0 की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2018 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण सहायक कलक्टर अलवर को प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय से व्यथित होकर अपी0 ने निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय न्याया0 के निर्णय दिनांक 21.09.2022 के द्वारा निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि वाद का 6 माह में निस्तारण करें। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान नवसृजित क्षेत्राधिकार न्यायायल उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को प्रकरण स्थानान्तिरित किया गया। पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के द्वारा दिनांक 24.10.2024 को वादी/वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से वाद अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात वादी अधिवक्ता द्वारा पुनः नंबर पर लेने का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में प्रस्तुत किया गया, जो प्रा0पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में विचाराधीन है। चूंकि इसी दौरान मृतक भौंडा के वारिसान का विरासत नामांतकरण संख्या 1248 दर्ज व तस्दीक किया गया। मृतक भौंडा के वारिसान के द्वारा दिनांक 25.02.2025 को दिगर व्यक्तियों (रेस्पो0 सं0 1 लगा0 2) को बयनामा पंजीबद्ध कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक बयनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 1251 दर्ज व तस्दीक किया गया।

उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट ने तथाकथित बैयनामा दिनांक 15.09.1993 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं कराये जाने एवं अन्य बैयानामों को दिगर न्यायालय से भी शून्य नहीं कराया गया, जिससे राजस्व रिकॉर्ड भौंण्डा एवं उसके वारिसान के नाम दर्ज होने के कारण विवादित आराजी को दिगर व्यक्तियों को बेचान करते गए। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा नामान्तकरण संख्या 1248 विरासत एवं बेचान बैयनामा नामा0 सं0 1251 तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त नामा0 सं0 1248 विरासत एवं बेचान बैयनामा नामा0 सं0 1251 दर्ज व तस्दीक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। बैयानामों को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत अपील के साथ अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पेश नहीं किया गया और अधीनस्थ न्यायालय में भी पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा के निर्णय दिनांक 25.02.2025 नामांतकरण संख्या 1251 वाके ग्राम महुआ खुर्द तहसील मालाखेड़ा को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज0)